

“प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता के माध्यम से
त्रुटि-मुक्त निवचिक नामावली”

पंजीकरण के
लिए फॉर्म

प्रवासी
निवाचक

केवाईसी

अपने अवृद्धयों को जानें

विशेष
संक्षिप्त
पुनरीक्षण

दावे
एवं
आपत्तियां

1950
हेल्पलाइन
नं.

मतदाता
खोज

मतदाता-दस्तावेज
रजिस्टर



माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री जानेश कुमार का संदेश



भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का मतदाताओं के लिये संदेश

राष्ट्र सेवा के लिये पहला कदम है मतदान;
अतः भारत के हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों;
उन्हें मतदाता जरूर बनना चाहिये और मतदान अवश्य करना चाहिये;
भारत के संविधान, लोक प्रतिनिधित्व कानूनों, नियमों और उनके अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुरूप;
चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा।

Chief Election Commissioner of India - Message for the Voters

First step for Nation Building is Voting;
Therefore, every Citizen of India; Who has completed 18 Yrs of age;
Should become an Elector; And should always Vote;
In accordance with the Constitution of India, Electoral Laws, Rules
and Instructions issued therein;
Election Commission was, is and will always be with the Voters.

संपादन समिति

एन.एन. बुटोलिया
वरिष्ठ प्रधान सचिव
(निर्वाचन नामावली)

अशोक कुमार
उप महा-निदेशक
(आईटी)

कुलदीप कुमार सहरावत
निदेशक (प्रशिक्षण)
(आईआईआईडीईएम)

निदेशक
(निर्वाचन योजना)

मधुसूदन गुप्ता
सचिव, ईवीएम

संतोष कुमार
सचिव, स्वीप

आर. के. सिंह
समन्वयक, स्वीप

हंगकन सुम्पी
परामर्शदाता, स्वीप

राशि सक्सेना
अनुभाग अधिकारी, स्वीप

नीरज कुमार
उप निदेशक (रा.भा.)

फरहा अल्वी
ग्राफिक डिजाइनर, स्वीप

संपादन दल

आर. के. सिंह
समन्वयक, स्वीप

हंगकन सुम्पी
परामर्शदाता, स्वीप

राशि सक्सेना

अनुभाग अधिकारी, स्वीप

नीरज कुमार

उप निदेशक (रा.भा.)

फरहा अल्वी

ग्राफिक डिजाइनर, स्वीप

निवाचक नामावली (ईआर) की संकल्पना

निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचक नामावली का महत्व

- निर्वाचक नामावली किसी भी लोकतंत्र में चुनाव कराने के लिए मूलभूत दस्तावेज होता है।
- यह सभी पात्र नागरिकों के नामों को निर्वाचकों के रूप में दर्ज करता है और उसे बनाए रखता है।
- निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की सटीकता एवं सत्यनिष्ठा अनिवार्य है।
- मतदाता पंजीकरण में कोई भी अशुद्धि या कमी न केवल समस्याएँ उत्पन्न करती है बल्कि समग्र निर्वाचन प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है।



निर्वाचक नामावली में नाम शामिल करने और हटाने का तरीका

- फॉर्म 6 - नए मतदाताओं के लिए आवेदन-पत्र।
- फॉर्म 6क - प्रवासी निर्वाचकों के लिए आवेदन-पत्र।
- फॉर्म 7 - निर्वाचक नामावली में नाम हटाने / आपत्ति (मृत्यु/निवास स्थान परिवर्तन/ अन्य कारणों से) दर्ज कराने के लिए अनुरोध।
- फॉर्म 8 - पता में परिवर्तन करने, सुधार करने, एपिक को बदलने, या दिव्यांगजनों को चिह्नित करने के लिए आवेदन-पत्र।
- ऑफलाइन - (बीएलओ) के माध्यम से या मतदाता पंजीकरण केंद्रों (वीआरसी) पर प्रस्तुत किए गए फॉर्म।
- ऑनलाइन - मतदाता हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से /voters.eci.gov.in पर जाकर जमा किए गए आवेदन-पत्र।

पात्रता

- व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथानिर्धारित अर्हक तिथियों को अठारह (18) वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
- किसी निर्वाचन-क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए।



अयोग्यता / निर्हत (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16क के अनुसार)

- भारत का नागरिक न हो।
- विकृत-चित्त (Unsound Mind) का हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो।
- भ्रष्ट आचरण और चुनाव संबंधी अन्य अंपराधों से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधानों के अंदीन मतदान करने से अयोग्य / निर्हत घोषित किया गया हो।



त्रुटि-मुक्त निवाचक नामावली सुनिश्चित करना

निर्वाचक नामावली में विसंगतियों को दूर करना



नाम हटाने की प्रक्रिया



गलत तरीके से नाम हटाए जाने के विरुद्ध रक्षोपाय



निर्वाचक नामावली में दिव्यांगजनों (बैंचमार्क दिव्यांगता) को चिह्नित करना



- पुनरीक्षण-पर्व चल रही गतिविधियों के दौरान निर्वाचक नामावली में विसंगतियों को दूर करने और त्रुटि-मुक्तता सुनिश्चित करने के लिए, फोन/मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे संपर्क विवरणों को शामिल करना आवश्यक है।

- दोहराव वाली / एकाधिक प्रविष्टियां : नागरिकों, राजनीतिक दल के बथ लेवल एजेंटों (बीएलए) और विभिन्न आरडब्ल्यूए द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों के लिए क्षेत्र सत्यापन करें।
- जनांकिकी रूप से समान, स्थायी रूप से निवास-स्थान परिवर्तित कर चुके और मृत मतदाता:

 - निर्वाचक या परिवार के किसी सदस्य (मृत व्यक्ति के लिए) से फॉर्म-7 प्राप्त करने पर पुष्टि किए जा चुके मामलों को हटा दें।
 - नाम हटाने से पहले नोटिस दें।
 - यदि मृत्यु प्रमाण-पत्र या आधिकारिक रिकॉर्ड के माध्यम से सत्यापित हो जाता है, तो मृत निर्वाचकों को नाम हटाने का कार्य फॉर्म-7 के बिना भी किया जा सकता है।

- पंजीकरण मृत्यु के मामले में समचित सत्यापन या मृत्यु प्रमाण-पत्र के पश्चात ही नाम हटाएं।
- अपंर्जीकृत मृत्यु या निवास-स्थान परिवर्तन के कारण नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 अपेक्षित है।
- बीएलओं को फैल्ड सत्यापन रिपोर्ट में विशिष्ट टिप्पणियां अवश्य करनी चाहिए।
- निवास-स्थान के परिवर्तन के मामलों के लिए फॉर्म-8 प्राप्त करें और कोई नई प्रविष्टि जोड़ने से पहले पर्व नामांकन की पष्टि करें।
- नामों को हटाने के लिए बीएलओ की रिपोर्ट अनिवार्य है।
- फॉर्म-6 या फॉर्म-8 में अपनी दिव्यांगता का विवरण उपलब्ध कराने वाले दिव्यांग निर्वाचकों को डाटाबेस में उनकी दिव्यांगता श्रेणी के साथ चिह्नित किया जाना चाहिए ताकि मतदान केन्द्रों पर उनके लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके।

प्रौद्योगिकी एवं पारदर्शिता को अपनाकर निवाचिक नामावली को त्रुटि-मुक्त बनाए रखना बीएलओ का मुख्य कर्तव्य है

बीएलओ वोटर हेल्पलाइन ऐप, सेवा मतदाता पोर्टल जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित उपायों को अपनाकर निर्वाचक नामावली को त्रुटि-मुक्त और सत्यनिष्ठ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निवाचिक नामावली को त्रुटि-मुक्त बनाने में बीएलओ की भूमिका



- बीएलओ वह स्थानीय क्षेत्राधिकारी होता है जो बथ लेवल पर मतदाता सत्यापन और डेटा की सटीकता के लिए उत्तरदायी होता है। उनके प्रमुख कर्तव्यों में शामिल हैं :
 - नए मतदाता आवेदनों का सत्यापन करना और मतदाता विवरणों को अपडेट करना।
 - नाम हटाने के लिए डुप्लिकेट, मृत या निवास-स्थान परिवर्तित कर चुके मतदाताओं का पता लगाना।
 - सटीकता सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन करना।
 - मतदाताओं का नाम शामिल करने, हटाने और सुधार करने के अनुरोधों के संबंध में मतदाताओं को सहायता देना।

बीएलओ द्वारा अपनाई जा रही प्रौद्योगिकी संचालित त्रुटि-मुक्त बनाने की विधियां



- तत्क्षण (real-time) डाटा सत्यापन के लिए बीएलओ मोबाइल ऐप :
 - घर-घर सर्वेक्षण के दौरान मौके पर ही मतदाता विवरण सत्यापित करना।
 - तत्क्षण डाटा अपलोड करना और विसंगतियों को चिह्नित करना।
 - मोबाइल का उपयोग करके दस्तावेजों को स्कैन करना और उन्हें डिजिटल रूप से संग्रहित करना।
 - नए मतदाता को शामिल करने या हटाने के लिए आवेदनों को ट्रैक करना और अपडेट करना।

डी-डुप्लीकेशन से बचने के लिए आधार-मतदाता पहचान पत्र को लिंक करना (स्वैच्छिक)




- बीएलओ मतदाताओं को उनके मतदाता पहचान-पत्र से आधार को लिंक करने में सहायता देते हैं जिससे निम्नलिखित कार्यों में भी सहयोग मिलता है :
 - विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में एकाधिक पंजीकरणों की पहचान करने में।
 - फर्जी या अपात्र मतदाताओं द्वारा धोखे से किए जाने वाले मतदान को रोकने में।

तत्क्षण (real-time) एसएमएस और ऑनलाइन अनुवीक्षण (monitoring)



- मतदाता पंजीकरण अनुरोधों के संबंध में बीएलओ को तत्क्षण एसएमएस एलर्ट प्राप्त होते हैं।
- मतदाता अपने आवेदनों के स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

विदेश संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया के दौरान बीएलओ के माध्यम से निवाचिक नामावली को त्रुटि-मुक्त बनाने के लिए पारदर्शिता उपाय



- लोक संवीक्षा (scrutiny) एवं नागरिक सहभागिता:
 - मतदाता सीधे बीएलओ के पास या मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से आपत्तियां या सुधार के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं।
 - सत्यापन बीएलओ द्वारा बीएलओ ऐप के माध्यम से किया जाना है।

बीएलओ-आधारित प्रौद्योगिकी एवं पारदर्शिता पहलों का प्रभाव



- अधिक तेज और अधिक दक्ष मतदाता सत्यापन।
- गलत प्रविष्टि, डुप्लिकेट और अपात्र मतदाताओं का हटाया जाना।
- निर्वाचक नामावलीयों में जनता का अधिक भरोसा।
- अधिक मतदाता भागीदारी के साथ-साथ त्रुटि-मुक्त निर्वाचन।



डिजिटल उपकरणों और नागरिक सहभागिता का लाभ उठाकर, बीएलओ यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत की निर्वाचक नामावली पारदर्शी, सटीक और विश्वसनीय बनी रहें - जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का एक सुदृढ़ आधार है !

कार्य-क्षेत्र की कहानियां

नाम : श्री जतिन्दर सिंह

मतदान केंद्र सं. : 08 आंगनवाड़ी भवन सं. 02, मालोया कॉलोनी, चंडीगढ़



श्री जतिन्दर ने मतदाता जागरूकता प्रचार अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है जिससे उनके मतदान केंद्र में मतदाता भागीदारी में वृद्धि होने में सहायता मिली है। इन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) - 2025 के दौरान निम्नलिखित मानदंडों को अपनाते हए घर-घर जाकर (एच2एच) 100% फील्ड सत्यापन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है:

- भावी निर्वाचकों की पहचान करना और सुसंगत फॉर्मों का वितरण करना।
- निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों में सुधार करना।
- लैंगिक असमानता को कम करना।
- 18-19 वर्ष के युवा निर्वाचकों को नामांकित करने के लिए प्रयास करना।

यह उल्लेखनीय है कि युक्तीकरण (rationalization) प्रक्रिया और घर-घर जाकर फील्ड सत्यापन करने के दौरान उन्होंने जो फील्ड-लेवल डेटा दिया था, वह विश्वसनीय भी था और निर्णायक भी। लोक सभा के आम चुनाव, 2024 के दौरान, इन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया और मतदान में भाग लेने के साथ-साथ आईसीटी एप्लिकेशन यानी वोटर हेल्पलाइन ऐप, मतदाता सेवा पोर्टल, सक्षम (पीडब्ल्यूडी ऐप) सी-विजिल, सुविधा ऐप आदि के बारे में निवासियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए अपने संबंधित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता पंजीकरण अभियानों और चुनाव पाठशालाओं का आयोजन करवाया।



नाम : श्री. नरेन्द्र कमार शर्मा

मतदान केंद्र सं. : 06 - गढ़ी मोहन

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र : 92 - खेरागढ़, आगरा, उत्तर प्रदेश

गढ़ी मोहन प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक और 92 - खेरागढ़ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के बीएलओ, श्री नरेन्द्र कमार शर्मा ने एक ऐसे सदूर, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्र में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया, जहां लोग चुनावों के बारे में बहुत कम जानते थे।

इन्होंने एक कप्रथा का जड़ से उन्मूलन करने की चुनौती स्वीकार की - गांव वालों ने अपनी बेटियों की नामांकन करवाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह अनावश्यक है। प्रतिरोध के बावजूद, ये दृढ़ बने रहे और इन्होंने इस संबंध में एसडीएम, खेरागढ़ से सहायता मांगी और एसडीएम महोदय गांव वालों को राजी करने के लिए बार-बार उस गांव का दौरा करते रहे।

इनकी मेहनत रंग लाई और इन्हें गांव की महिलाओं का समर्थन प्राप्त हआ। चुनावी जागरूकता पैदा करके समदाय को सशक्त बनाने के लिए इन्होंने 100% मतदाता नामांकन, आधार-एपिक लिंक करने और अनपस्थित मतदाताओं का नाम हटाने का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इनके सराहनीय प्रयासों ने गांव का कायापलटै कर दिया और समाज के प्रति इनकी निरंतर सेवा के लिए हमें इन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

नाम : श्री सुमित कुमार गौतम

मतदान केंद्र संख्या : 44 उर्दू प्राथमिक विद्यालय, मनरे

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र : 187 - मनरे, बिहार



श्री सुमित को इनके आबंटित क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने पाया कि मतदाता अपने मताधिकारों के बारे में सज़र्ज़ नहीं थे। उन्होंने मतदान करने या अपना नाम पंजीकृत कराने में बहुत कम रुचि दिखाई। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में, इन्होंने अपने क्षेत्र में मतदाता जागरूकता का अभाव देखा और चुनाव के प्रति लोगों में बहुत कम रुचि देखी। इसका एक बड़ा कारण यह था कि 25% मतदाताओं के घर और दस्तावेज आग में जलकर नष्ट हो गए थे, जिसके कारण उन्हें लगता था कि वे वोट तो डाल ही नहीं सकते।

इसका समाधान करने के लिए, इन्होंने उन लोगों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए वैकल्पिक दस्तावेजों के बारे में जानकारी दी और मतदाता पहचान-पत्र प्राप्त करेने के लिए भरने में उनकी सहायता की। इनके प्रयासों से उन लोगों का भरोसा फिर से बहाल हुआ। समदाय के नेताओं, पदधारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इन्होंने मतदान के महत्व के बारे में भी जागरूकता फैलाई, जिससे धीरे-धीरे मतदाताओं की भागीदारी बढ़ती रही।

गए

फॉर्म - 8

नाम : श्री पी. लालेंगमाविया

मतदान केंद्र सं. : 25 खौहरी

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र : 29 - तुईपुई दक्षिण, लुंगलेई जिला, मिजोरम



NATIONAL VOTERS' DAY
2023

श्री पी. लालेंगमाविया वर्तमान में सरकारी माध्यमिक विद्यालय, खौहरी में शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। 2012 में अपनी नियमित के बाट से ही, ये मिजोरम के हनाहथियाल ज़िले के 29/25 खौहरी के बीएलओ के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। इनका नियत मतदान केंद्र सरकारी प्राथमिक विद्यालय, खौहरी है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के संबंध में सुनवाई प्रक्रिया के संचालन से पहले और उसके दौरान इनके दबाव किए गए कार्यों से पता चल गया था कि ये एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। परी प्रक्रियों को सचारू बनाने में इनके प्रयासों का अहम योगदान रहा। जमा किए गए फॉर्म को व्यक्तिगत एपिक नंबरों से लिंक करने, ई-रोल को चिह्नित करने आदि जैसे कुछ प्रयासों के कारण सम्पूर्ण सुनवाई प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावशीलता बहुत बढ़ गई।

नाम : सुश्री सुनीता कमारी

मतदान केंद्र सं. : 56 - मोटे

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र : 73 - सुचेतगढ़ (अ.जा.), जम्मू जिला, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र

सुश्री सुनीता कमारी ने निर्वाचक नामावलियों से विसंगतियों (यानी तार्किक वृत्तियां, डूप्लिकेट प्रविष्टियां, खराब गणवत्ता वाले छायाचित्रों, आदि) को दूर किया। इन्होंने रेंगीन छायाचित्रों को एकत्र किया और निर्वाचक नामावली को 100% रेंगीन छायाचित्र लगाकर अपडेट कर दिया। इन्होंने लोगों को विशेषकर महिला मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जागरूक किया।

इन्होंने निर्वाचक नामावली में फैमिली ग्रपिंग में सुधार किया है। इन्होंने लोकसभा चुनाव

2024 और जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनाव 2024 के दौरान सही समय पर घर-घर जाकर लगभग 100% एपिक/मतदाता-पर्चियों वितरित की हैं। इन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणों के दौरान विशेष शिविर दिवसों में भाग लिया और दावों और आपत्तियों के कई फॉर्म प्राप्त किए, जिनमें यूवा (भावी) मतदाताओं और महिला मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इन्होंने सभी निर्वाचकों के मोबाइल नंबर और आधार नंबर भी एकत्र किए और उन्हें अपडेट किया।

नाम : सुश्री बी. जयप्रदा

मतदान केंद्र सं. : 58, पारकल, 104 एलएसी, तेलंगाना



सुश्री बी. जयप्रदा, नगरपालिका क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन मिशन (एमईपीएमए)

की विशेषज्ञ (resource person) हैं और तेलंगाना राज्य में पिछले 5 वर्षों से

बीएलओ हैं। नियमित नौकरी और बीएलओ की जिम्मेदारी के अलावा जो

जिम्मेदारी ये निभाती हैं, वे वास्तव में एक दूसरे के लिए परक का कार्य करते हैं,

खासकर नगरपालिका सर्वेक्षणों में भाग लेने के दौरान, एमईपीएमए योजना से ऋण

लेने के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते समय इन्हें परिवारों को मतदाता के रूप

में नामांकन करवाने के लिए प्रेरित करने, उनकी प्रविष्टियों में सुधार (यदि कोई हो) करने

और मतदान के दिन वोट डालने के लिए भी प्रेरित करने में सहायता मिली। साथ ही साथ, एक सहकर्मी के तौर पर, इस

युवा ने पूरी सुनवाई प्रक्रिया के दौरान बीएलओ का हवाला देकर उन लोगों को निर्वाचन सेवाओं के बारे में

सूचना/जागरूकता प्रदान किया जो बहुत शिक्षित नहीं हैं या जो स्कूल/कॉलेजों से वंचित रहे हैं।

तालमेल बनाना और संदेशों को प्रभावी बनाना एक अच्छा संबंध कायम करने का मूलमंत्र है, यह खासकर उन युवा

महिलाओं और पुरुषों के बीच अधिक कारगर होता है जो किसी तरह अपनी नियमित गतिविधियों को पूरा करने में 'बहुत व्यस्त' हैं। इसलिए, इन्होंने प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्हें मतदाता हेल्पलाइन ऐप का उपयोग करने और

पंजीकरण के लिए आवेदन करने, फोन नंबर, पते में परिवर्तन करने, एपिक कार्ड आदि जैसे विवरणों में किसी भी

प्रकार के बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित किया और यह कारगर साबित हआ - एक प्रतिबद्ध बीएलओ के रूप में, इनके इन्होंने प्रयासों के कारण इन्हें एनवीडी के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ बीएलओ का पुरस्कार मिला।

नाम : श्री इंद्रा राम देवड़ा

मतदान केंद्र सं. : 172 - पाली, जोधपुर, राजस्थान

श्री इंद्रा राम देवड़ा, मथानिया स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम, में अध्यापक लेवल-1 के पद पर कार्यरत हैं। गांवों में जागरूकता की कमी होने के कारण वहां के मतदाता सभी आवश्यक जानकारी तुरंत देने में हिचकिचाते हैं, हालांकि श्री देवड़ा ने अपने स्तर पर एक मतदाता रजिस्टर तैयार किया, जिसमें इन्होंने परिवार के सभी मतदाताओं की एक सूची तैयार की जिसमें सभी का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर और आधार पर अंकित जन्मतिथि के साथ-साथ उनका आवासीय पता भी दर्ज किया। इसके लिए इन्हें अक्सर ही लगभग 1 से 2 घंटे अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती थी। इन्हें अपने परिवार और निजी जीवन की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से किनारा करना पड़ा। जब सूची तैयार हो गई, तो इन्होंने इसका मिलान माई वोटर लिस्ट (मेरी मतदाता सूची) से किया और उन सभी मतदातों से संपर्क करना शुरू कर दिया जो 18 वर्ष से अधिक आयु के थे और जिनका नाम अभी भी निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं हआ था। इन्होंने मतदाता सूची में उनके नाम शामिल करने के लिए उनसे आवश्यक दस्तावेज एकत्र करना शुरू कर दिया। इन्हें इस उत्कृष्ट कार्य के लिए जोधपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। 'मेहनत कर रे मानव, मेहनत राखे मान' कहावत को चरितार्थ करने के लिए हमें कर्तव्य पथ पर अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।



नाम : श्री मोहम्मद इलियास वानी

मतदान केंद्र सं. : 4-नेवा बी, जिला पुलवामा

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र : 34 पुलवामा, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य-क्षेत्र



इन्होंने घर-घर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने का व्यापक अभियान चलाया, जिससे विशेष रूप से पहली बार मतदाता बने मतदाताओं, महिलाओं और वंचित समुदायों के बीच अधिकतम मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित हआ। इन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर बजर्गा और दिव्यांग नागरिकों की मतदातों पंजीकरण करवाने और एपिक (निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र) प्राप्त करने में सहायता की।

इन्होंने सजग और नीतिपरक मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों में और स्थानीय समुदायों के बीच सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता (SVEEP) कार्यक्रम का आयोजन करवाया। इन्होंने युवाओं और पहली बार मतदाता बने मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा और उन्हें अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का जिम्मेदारी से प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया।

पारदर्शी व त्रिटिमुक्त निर्वाचक नामावलियां :- इन्होंने मतदाता सूचियों का सत्यापन करने और उन्हें अद्यतन करने का कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक करके त्रिटि-मुक्त निर्वाचक नामावली की उपलब्धता सुनिश्चित की। इन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए डुप्लिकेट, निवास-स्थान परिवर्तित कर चुके और मृत मतदाताओं की प्रविष्टियों की पहचान की और उन्हें नामावली से हटाया।

नाम : सश्री संद्या गांवकर

मतदान केंद्र सं. : 43 सरकारी प्राथमिक विद्यालय सालिग्नी

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र : 39 संगुएम (दक्षिण गोवा जिला)



बीएलओ सश्री संद्या गांवकर ने अपने भाग सं. 43 में घर-घर अभियान चलाया है और प्रत्येक मतदाता को मतदान के दिन बाहर निकलकर अपना वोट डालने के लिए राजी करके उनका वोट डलवाना सुनिश्चित किया है। लोक सभा चनाव 2024 के दौरान, 39-संगुएम विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के बूथ नंबर 43 यानी "43 - सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सालिग्नी" ने गोवा के इतिहास में पहली बार 100% मतदाता भागीदारी को लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा केवल संबंधित व्यक्ति अर्थात् बीएलओ द्वारा किये गए जबरदस्त प्रयासों के कारण ही संभव हो पाया है।

नेत्रावली गांव में 39-संगुएम, विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा पहली बार मतदाता जागरूकता कार्यकलाप का आयोजन किया गया, जिसमें सजीव प्रदर्शन (Live Performance) के साथ-साथ सभी बीएलओ के लिए भारत निर्वाचन आयोग के "वनवोट, वनप्लांट" लिखे संदेश के साथ विशेष रूप से डिजाइन की गई टी-शर्ट लॉन्च की गई। भारत निर्वाचन आयोग के "वनवोट, वनप्लांट" संदेश स्थानीय बजर्ग ग्रामीणों और मतदाताओं के कर-कमलों से भी लॉन्च करवाए गए थे जिसके साथ मतदाता जागरूकता का ऑडियो गीत "अमीसंगुएम" भी लॉन्च किया गया था।

नामः श्रीमती सीमा सोनी

मतदान केंद्र सं.: 81-हरदा

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रः 135-हरदा, 29-बैतूल(अ.जा.) जिला, मध्य प्रदेश

वार्ड सं. 32 की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री (worker) सुश्री सीमा सोनी को हरदा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के मतदान बूथ संख्या 81-हरदा के बूथ लेवल अधिकारी के रूप में भी तैनात किया गया है।

विधान सभा चुनाव - 2023 और लोक सभा चुनाव - 2024 के दौरान, उस बूथ पर मतदाताओं की भागीदारी का प्रतिशत क्रमशः 91.21% और 68.36% रहा, जो उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 274 मतदान केंद्रों में सबसे अधिक रहा है। श्रीमती सोनी के प्रयासों से, विशेष संक्षिप्त पनरीक्षण - 2024 के दौरान कल 25 नाम जोड़े गए, जिनमें से 18-19 आय समूह के 21 नए मतदाता थे। मतदान केंद्र 81-हरदा का वर्तमान लिंग अनुपात और ईपी अनुपात क्रमशः 961 और 71.23% हैं।

सौंपे गए कार्यों के प्रति श्रीमती सोनी की ईमानदारी के प्रति आभार व्यक्त करने और विधान सभा चुनाव 2023 के दौरान उनके मतदान केंद्र पर 91.20% से अधिक मतदान दर्ज करने पर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, हरदा में आयोजित 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2024 के अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा श्रीमती सोनी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। श्रीमती सोनी मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक और प्रेरित करने के लिए हरसंभव प्रयास करती हैं। इनमें प्रतियोगिताएं और खेलकूद की विभिन्न अभिनव गतिविधियां शामिल हैं।



नाम : श्री राजीव शर्मा

मतदान केंद्र सं. : 12-पचेखनी-बी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र : 19 रहेनोक, पक्यांग जिला, सिक्किम

एक समर्पित और मेहनती बीएलओ श्री राजीव शर्मा को हाल ही में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय, चुनाव विभाग, गंगटोक, सिक्किम सेरकार द्वारा प्रतिष्ठित जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ बीएलओ परस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान प्रक्रियाओं को सरल बनाने में इनके विशेष योगदान और बीएलओ के रूप में इनके उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन को प्रमुखता से दर्शाता है।

यह सम्मान इनके निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन व्यवस्था में सुधार लाने के प्रति इनकी प्रतिबद्धता, दक्षता और इनके महत्वपूर्ण प्रभाव का परिचायक है। श्री शर्मा बहुत ही अगसोची अधिकारी थे और मतदाताओं सूचियों को अपडेट करने, मतदाता पंजीकरण आसान बनाने, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य बहुत ही जिम्मेदारीपूर्वक करते थे। साथ ही वे यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करते थे कि मतदाता सहभागिता से संबंधित सभी लॉजिस्टिकल व्यवस्थाओं को पर्याप्त तरीके से बेहतर बनाया जाए। इनके प्रयासों के परिणामस्वरूप मतदाता पंजीकरण में खासकर पहली बार मतदान करने वाले और समाज के हाशिए पर रहे वर्गों के बीच उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए इन्होंने चुनावी डाटा को प्रबंधित करने के लिए डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर का प्रभावी उपयोग किया है, जिससे मतदाताओं पंजीकरण, सत्यापन और संचार की प्रक्रिया में और अधिक कशलता आ गई है। एक बीएलओ के रूप में श्री शर्मा ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत की है कि 19-रहेनोक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की मतदाता सभी अपडेट और त्रुटि-मक्त छोड़ सकते हैं। अभिलेखों के व्यापक और गहन सत्यापन पर ध्यान केन्द्रित करके इन्होंने त्रुटियों को कम किया है जिससे निर्वाचक नामावली की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित हुई है।

To check your name on the Electoral Roll

SMS <ECI> SPACE <EPIC No.> to 1950

or Call Voter Helpline 1950

#IVoteForSure



Call Voter Helpline
1950
Log on to
elections24.eci.gov.in

- fb.com/ECI
- [@ecisveep](https://twitter.com/ecisveep)
- youtube.com/eci
- [@ecisveep](https://instagram.com/ecisveep)
- [Election Commission of India](https://eci.nic.in)
- [/company/election-commission-of-india-official](https://company.election-commission-of-india-official)